

31/10/21 पत्रावली पेश हुई। बगुलाब करीब न. अपस्थिति।  
कोर्ट बाकी/प्रतिवादी ने तलाकी  
के लिए अक्सर बाधा। अबलर दिया गया है।  
विवाद विनांक 9/11/21 को पेश हो

ए. सी. ई. एम. (कॉर्ट)  
न. न. न.

9/11/21 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेकड उप।  
मूल काद नोट प्रेस में खारिज हो चुका है।  
मूल काद का निरालाग होने से प्रार्थना-पत्र  
अस्वादि निषेधारा को चलाने का कोई औचित्य नहीं  
अतः प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर खारिज की जाते  
है। पत्रावली फौजल शुमार होकर दर्ज नम्बर से  
कम हो गया काद तकमील फामिल वफर हो कु

ए. सी. ई. एम. (कॉर्ट)

